

उनवान

कुन्हा पिता मैरु गुजर निवासी गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)

_____ (प्रार्थी)

बनाम

उपना पिता देवी भील निवासी गाडरीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
 लादु पिता रायमल गुजर निवासी गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
 लादु पिता भागुता गुजर निवासी गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
 राजी पत्नि जीवा गुजर निवासी गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

_____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 27.04.2017


वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल बसाखुर्द भू0अ0नि0 बेरा तहसील बनेडा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 146 के आ0न0 /234 कुल किता 01 कुल रकबा 02-03 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया और पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह पूरा करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नियत पैशी पर अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और प्रकर न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः न्याय पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल बसाखुर्द भू0अ0नि0 बेरा तहसील बनेडा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 146 के आ0न0 /234 कुल किता 01 कुल रकबा 02-03 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बेरा को 300/- रुपये पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित न्याय पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। अतः उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (रतनलाल रेगर)
 उपखण्ड अधिकारी,
 बनेडा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 27.04.2017

आंक/प्रकरण संख्या/40/2017

तलिपि-

तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो ।


 (रतनलाल रेगर)
 उपखण्ड अधिकारी,
 बनेडा, जिला भीलवाड़ा